न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्री जयसिंह आर.ए.एस.

प्र0न0 – 105/2020(2020/00187)
उनवान : –

सुनील कुमार पुत्र बिलासाराम जाति यादव निवासी भोजासर तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. बिलासाराम पुत्र कुरडाराम जाति यादव निवासी भोजासर तहसील भादरा।
2. धर्मेन्द्र पुत्र बिलासाराम जाति यादव निवासी भोजासर तहसील भादरा।
3. कृष्णा पुत्री बिलासाराम जाति यादव निवासी भोजासर तहसील भादरा।
4. दर्शना पुत्री बिलासाराम जाति यादव निवासी भोजासर तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री योगेश शर्मा वादी
श्री जाकिर हुसैन प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 08/03/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 2 बीएचडी सम्वत 2071–74 के वर्तमान खाता संख्या 53/48 के मुरब्बा न0 66 के किला न0 6, 7, 8 इस प्रकार कुल किता 3 की कुल 0.759 हैक्टेयर मय रास्ता प्रतिवादी संख्या 1 बिलासाराम के नाम, चक 1 बीएचडी के खाता संख्या 58/56 के मुरब्बा नम्बर 38 के किला न0 5, मु0 न0 39 के किला न0 1 ता 4, 7 ता 14 इस प्रकार कुल किता 13 की कुल 3.289 हैक्टेयर नहरी मय खाला प्रतिवादी संख्या 1 बिलासाराम के नाम, चक 1 बीएचडी के खाता संख्या 72/71 के मु0 न0 34 के किला न0 1 ता 3, 8 ता 13,18 ता 22 इस प्रकार कुल किता 14 की कुल 3.542 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 बिलासाराम के नाम 1/2 हिस्सा व इसी प्रकार कुल किता 2 बीएचडी के खाता संख्या 97/83 के मु0 न0 30 के किला न0 16, 25, मु0 न0 33 के किला न0 11, 20, 21, मु0 न0 34 के किला न0 13 ता 18, 23 ता 25 मु0 न0 43 के किला न0 3, मु0 न0 50 के किला न0 9, 12/1, 13, 16 ता 18, 19/1, 22/1, 23 ता 25, मु0 न0 53 के किला न0 1/1, 3 ता 8, 9/1, 15, मु0 न0 55 के किला न0 10 इस प्रकार कुल किता 36 की कुल ... प्रतिवादी संख्या 1 बिलासाराम के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.01 16:09:57 IST
Reason: SelfAttested

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादी के दादा कुरड़ा की खातेदारी हुआ करती थी। कुरडा से

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

विरासतन वादभूमि जो प्रतिवादी बिलासाराम ने कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल वहा प्रतिवादी ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि वहा प्रतिवादी बिलासाराम के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 बिलासाराम को वादी के दादा कुरड़ा से विरासतन प्राप्त हुई है। खतौनी जमाबन्दी चक 1 बीएचडी सम्वत 2038-41 के खाता संख्या 61 व चक 2 बीएचडी सम्वत 2019 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो वाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

उक्त वाद भूमि बाबत सभी पक्षकारानों में पारिवारिक समझौता किया हुआ है। प्रतिवादिया संख्या 3 व 4 वादी की बहिनें हैं, जिन्होंने अपना हक व हिस्सा की भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के हक में हिस्सा बराबर तर्क किया हुआ है।

साक्ष्य वादी में वादी सुनील पुत्र बिलासाराम जाति यादव निवासी भोजासर तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में जमाबन्दी चक 2 बीएचडी सम्वत 2071-74 खाता संख्या 53/41 प्रदर्श 1, जमाबनदी चक 1 बीएचडी सम्वत 2071-74 के खाता संख्या 58/56 प्रदर्श 2, जमाबन्दी चक 1 बीएचडी सम्वत 2071-74 के खाता संख्या 72/71 प्रदर्श 3, जमाबन्दी चक 2 बीएचडी सम्वत 2071-74 के खाता संख्या 97/83 प्रदर्श 4, सरपंच ग्राम पंचायत भोजासर द्वारा जारी सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 5, खतौनी जमाबन्दी चक 1 बीएचडी सम्वत 2038 प्रदर्श 6, खतौनी जमाबन्दी चक 1 बीएचडी सम्वत 2047 प्रदर्श 7, भू. प्रबंध विभाग जमाबन्दी चक 2 बीएचडी सम्वत 2019 प्रदर्श 8 प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। चूंकि जमाबन्दी चक 2 बीएचडी के खाता संख्या 53/49 की कुल 0.759 हैक्टेयर व चक 1 बीएचडी के खाता संख्या 58/56 की कुल 3.289 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 बिलासाराम के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, उक्त भूमि के ऐसे कोई साक्ष्य या दस्तावेज पेश [illegible] है, जिससे यह साबित हो कि उक्त कृषि भूमि दादालाई साबित हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.01 16:09:57 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर म[illegible] किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादीगण ने रोही मौजा चक 1 बीएचडी के खाता संख्या 72/71 के मु0 न0 34 के किला न0 1 ता 3, 8 ता 13,18 ता 22 इस

उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

कार कुल किता 14 की कुल 3.542 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 बिलासाराम के नाम 1/2 हिस्सा व इसी प्रकार कुल किता 2 बीएचडी के खाता सख्या 97/83 के मु0 न0 30 के किला , 16, 25, मु0 न0 33 के किला न0 11, 20, 21, मु0 न0 34 के किला न0 13 ता 18, 23 ता , मु0 न0 43 के किला न0 3, मु0 न0 50 के किला न0 9, 12/1, 13, 16 ता 18, 19/1, 2/1, 23 ता 25, मु0 न0 53 के किला न0 2/1, 3 ता 8, 9/1, 15, मु0 न0 55 के किला न0 0 इस प्रकार कुल किता 36 की कुल 8.537 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 बिलासाराम के नाम /2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। है। जिसमें वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना सावित है उसमें वादी एवं प्रतिवादी सं 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। जिसे राजीनामा में वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताविक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 बीएचडी के खाता संख्या 72/71 के मु0 न0 34 के किला न0 1 ता 3, 8 ता 13,18 ता 22 इस प्रकार कुल किता 14 की कुल 3.542 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 बिलासाराम के नाम 1/2 हिस्सा व इसी प्रकार कुल किता 2 बीएचडी के खाता संख्या 97/83 के मु0 न0 30 के किला न0 16, 25, मु0 न0 33 के किला न0 11, 20, 21, मु0 न0 34 के किला न0 13 ता 18, 23 ता 25 मु0 न0 43 के किला न0 3, मु0 न0 50 के किला न0 9, 12/1, 13, 16 ता 18, 19/1, 22/1, 23 ता 25, मु0 न0 53 के किला न0 2/1, 3 ता 8, 9/1, 15, मु0 न0 55 के किला न0 10 इस प्रकार कुल किता 36 की कुल 8.537 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 बिलासाराम के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। **उसमें प्रतिवादी संख्या 1 बिलासाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी सुनील कुमार व प्रतिवादी संख्या 2 धर्मेन्द्र को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** प्रतिवादी संख्या 1, 3 व 4 द्वारा वादी एवं प्रतिवादी सख्या 2 के हक व हिस्से मे त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08/03/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहर: उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.01 16:09:57 IST
Reason: SelfAttested

(जयसिंह)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़